लेख

खाप पंचायत, लिंग अनुपात व स्त्री शक्ति

रविन्दर कौर

आजकल खाप पंचायतें सम्मान जनित अपराधों में अपनी भूमिका के लिए खबरों में निरन्तर स्थान बनाए हुए हैं। इनमें अधिकांश अपराधों में उन विवाहों की गिनती है जो हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाज के अनुसार 'अनुपयुक्त' हैं। समाज इन शादियों पर अपमानित महसूस करता है और समाज के प्रतिनिधि के तौर पर खाप पंचायत दम्पतियों व उनके परिवारों को सज़ा देती है। इन अति-संवैधानिक संरचनाओं के नैतिक दबाव व हुकूमत को चुनौती देने का डर विवाहित जोड़े के सगे-संबंधियों को उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित और बाध्य कर देता है तथा गांववाले उनके परिवारों को बहिष्कृत करते हैं। इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि पुलिस सुरक्षा से भी इन पीड़ितों को कोई राहत नहीं मिल पाती क्योंकि नेता व पुलिस दोनों ही इन विवाहों पर विरोध को खुलेआम समर्थन देते हैं और बदला लेने की इजाज़त देकर नियमों का उल्लंघन करने वालों को माफ़ कर देते हैं।

जैसे-जैसे हरियाणा के कुंवारों के लिए दूरदराज़ के इलाकों से विजातीय दुल्हनें आने लगती हैं वैसे-वैसे अपने दम्पतियों पर सामाजिक दबाव बढ़ता जाता है। अगर एक जोड़े का गोत्र एक हो या उन्होंने एक ही गांव अथवा पड़ोसी गांव में विवाह किया हो तो उन्हें बतौर भाई-बहन रहने को बाध्य किया जाता है। खाप पंचायत को इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि विवाह माता-पिता ने तय किया है, बच्चे का जन्म हो चुका है या फिर कानून की नज़र में यह शादी वैध है। कानून भी दम्पति की कोई सुरक्षा नहीं करता और 'पवित्र' सामाजिक मानकों के आगे उनको सर झुकाना पड़ता है। इस 'गलत' विवाह का बदला लेने वाले माता-पिता, भाई-रिश्तेदारों को स्थानीय न्याय करने वालों से वैधता और सहयोग मिलता है। हरियाणा की धूल में नागरिकता, आधुनिकता, विकास लैगिंक समानता के नारे दब जाते हैं। हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतों के पुनुरुत्थान तथा स्वःचयनित विवाहों पर उनकी कार्यवाई को लेकर काफी सटीक कारण प्रस्तुत किए जा रहे हैं, परन्तु इन मामलों से जुड़े दो अहम पहलुओं को उजागर करना महत्वपूर्ण है। पहला, बड़े पैमाने पर स्त्री भ्रूण हत्या, बालिका शिशु के प्रति बेरुखी व स्त्री भ्रूण गर्भपात। दूसरा, इस पुरुष प्रधान समाज में केवल औरतें ही सार्वजनिक रूप से खाप पंचायतों व उनकी हुकूमत को चुनौती दे रही हैं। एक पुरुष प्रधान समाज, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र खासकर पंचायतों में औरत की मौजूदगी या जगह नहीं होती वहां यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि वे अपने पति, बच्चों और परिवारों के हक़ व सुरक्षा के लिए लाठियां उठा रही हैं।

अंतर्जातीय बनाम सजातीय विवाह

खाप के पुनुरुत्थान के पीछे कारण पर बात करने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि खाप पंचायतें किन विवाहों व संबंधों का विरोध कर रही हैं। आम धारणा के विपरीत ये हमेशा 'घर से भागकर' की गई शादियों के ही ख़िलाफ़ नहीं हैं बल्कि कई अन्य तरह

के विवाहों पर इन्हें आपत्ति है। कुछ विवाह जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है वे अंतर्जातीय हैं जिनमें पुरुष अधिकतर दलित व औरत जाट है। इनके विपरीत सजातीय विवाह हैं जो वर्जित गोत्र के लोगों के बीच होते हैं। कुछ अन्य में गांव के भीतर किए गए विवाह हैं क्योंकि हरियाणा में 'ग्राम बहिर्विवाह' रिवाज के अनुसार गांव से बाहर ही शादी की जानी चाहिए चाहे विवाह योग्य गोत्र गांव में ही मौजूद क्यों न हो। 'ग्राम बहिर्विवाह' को थोड़ा अधिक विस्तारित करके 'क्षेत्रीय बहिर्विवाह' का रिवाज होता है जिसके तहत कुछ गांव 'भाईचारे' के संबंध से जुड़े होते हैं और उन गांवों के लड़के-लड़कियों को भाई-बहन मान लिया जाता है। जैसा की सामाजिक मानवशास्त्री जानते हैं व्यभिचार की परिभाषा में सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं और उत्तर भारत में इसके अंतर्गत वर्जित श्रेणियों में कई गोत्र व गांव शामिल होते हैं। यहां पर दूल्हा-दुल्हन के बीच कोई भी रिश्तेदारी का संबंध जितनी दूर की पीढ़ी तक न हो उतनी ही उस विवाह की साख ज़्यादा बड़ी होती है। पुराने ज़माने में वर-वधू के गांव के बीच की भौगोलिक दूरी उनके परिवारों व वंश के सामाजिक दर्जे का सूचक मानी जाती थी।

स्व-चयनित बनाम व्यवस्थित विवाह

कुछ अन्य फ़र्क़ भी हैं। अंतर्जातीय विवाहों में स्वः चुनाव के साथ-साथ जाति के अंदर विवाह के नियम का भी उल्लंघन होता है। 'अनुपयुक्त' गोत्र विवाहों में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि सजातीय होने पर हो सकता है कि वर-वधू के माता-पिता शादी तय कर दें। लिहाज़ा इन विवाहों में परिवार, गांव व समाज की स्वीकृति होती है और सार्वजनिक जश्न के माध्यम से इन्हें सामाजिक वैधता भी मिल जाती है। ये शादियां *हिंदू विवाह कानून* के तहत भी जायज़ मानी जाती हैं। यह बड़े कौतूहल की बात है कि इस तरह के काफी विवाहों को साल भर बाद, जब महिला गर्भवती हो या जब बच्चे का जन्म हो चुका हो, निशाना बनाया गया जाता है। सवाल यह है कि आख़िर इन अनियमितता के विरूद्ध खाप पंचायत की नींद इतनी देर के बाद ही क्यों खुलती है?

इन विवाहों पर खाप विरोध के सवाल पर विभिन्न तर्क मौजूद हैं। अंतर्जातीय विवाह के मामले में जाट समुदाय का आक्रोश अधिकतर दलितों के प्रति है जो जाट लड़कियों से प्रेम विवाह कर लेते हैं या करने की कोशिश करते हैं। इन शादियों के प्रति हिंसा को आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि शैक्षिक व रोज़गार सुविधाओं से सम्पन्न बनने वाली 'अछूत' जातियों का यह व्यवहार प्रधान जाट समुदाय को एक चुनौती के रूप में नज़र आता है। कुछ इसी तरह का प्रतिक्षेप देश के अन्य हिस्सों में भी दिखाई पड़ता है जहां दलितों ने अपने हालात बेहतर बना लिए हैं और मुख्यधारा समाज में प्रवेश करके वे समाज द्वारा थोपी गई जातिगत विकलांगताओं को चुनौती दे रहे हैं।

दक्षिण भारत में कमीज़ पहने, मोटरसाइकिल पर सवार दलितों को निशाना बनाया गया है। हरियाणा के दलित इस लिहाज़ से जाट समुदाय को एक बुनियादी चुनौती दे रहे हैं— उनकी बेटियों से विवाह का प्रयास करके वे जाति वर्जन पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं जाति की सुरक्षा के लिए विवाह सबसे सशक्त व अंतिम बुर्ज है। 'जाति बहिर्विवाह' के ज़रिए जाति वर्जन सुनिश्चित किया जाता है। इसी तरह परिवार व विवाह के अंतरंग दायरे सांस्कृतिक-सामुदायिक मूल्यों को सहेजकर स्थाई बनाते हैं और इन मूल्यों पर कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष धमकी का प्रत्युत्तर संबंद्ध समुदाय हिंसक प्रतिक्रिया से देता है।

यह समझना ज़रूरी है कि सगोत्र व 'अनुपयुक्त' गोत्र विवाहों के प्रति खाप पंचायत के फतवे करीब दस वर्ष से ही उभरे हैं और हाल ही में इनमें तेज़ी आई है। नृशंस हत्याएं, गांव निकाला व सामाजिक बहिष्कार जैसी सज़ाएं जो जोड़ों व उनके परिवारों पर थोपी जा रही हैं ने कुछ नागरिक समाज निकायों को इन त्रस्त दम्पतियों के पक्ष में लाठियां उठाने के लिए प्रेरित किया है। *जनवादी महिला समिति* जैसे संगठनों का सहयोग तथा सम्मान जनित हत्याओं के विरुद्ध एक नया कानून पारित करके (भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में एक पांचवा खण्ड जोड़कर) खाप पंचायतों पर लगाम कसी जाने के सरकार के प्रस्ताव ने इन पंचायतों के आन बचाने के इरादों को दृढ़ता प्रदान की है। नतीजतन, ये अब और अधिक आक्रामक रुख इख़्तियार करके *हिंदू विवाह कानून* में संशोधन की मांग उठा रही हैं जिसमें स्थानीय गोत्र संबंधी मानकों को नज़रअंदाज़ करने वाले विवाहों को अवैध करार देने का प्रस्ताव भी है। हाल ही में नवीन जिंदल जैसे 'आधुनिक' पक्षों ने भी खाप पंचायतों की *हिंदू विवाह कानून* में संशोधन की मांग का समर्थन करके सरकार तक पहुंचाया है।

विषम लिंग अनुपात व महिलाओं पर नियंत्रण

विभिन्न तरह के विवाहों पर खाप पंचायत की कार्यवाई तथा उनके विरुद्ध उसके विषाक्त स्वरूप के समयमापन व तीव्रीकरण को समझने के लिए हमें सतही स्पष्टताओं, जो बतौर रिवाजी मानकों व समुदाय के 'मान के उल्लंघन' आंके जाते हैं से आगे देखना होगा। एक महत्वपूर्ण पहलू है हरियाणवी समाज में व्याप्त लैंगिक असंतुलन जो गिरते लिंग अनुपात और लड़कियों के कम जन्म के कारण और अधिक बढ़ता जा रहा है। जनसांख्यिकों के अनुसार हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट 'पुरुष विवाह विवशता' से ग्रस्त हैं। गिरते लिंग अनुपात (1000 पुरुषों पर 800 महिलाएं) के कारण 'पुरुष विवाह विवशता' की समस्या संग्रहित हो जाती है; कम स्त्री सहगणों के जन्म से बिन-ब्याहे पुरुषों की तादाद हर साल बढ़ती चली जाती है और जितनी कम स्त्रियां उतने अधिक बिन-ब्याहे पुरुष और उतना अधिक असंतुलन। आज के हरियाणवी समाज में हर चौथे पुरुष के अविवाहित रह जाने की संभावना है और अंतिम चारे के तौर पर असम, पश्चिम बंगाल, केरल तथा अन्य राज्यों से वधुएं लाई जा रही हैं।

यह स्पष्ट है कि विवाह योग्य लड़कियों के अभाव में हरियाणा व उत्तर प्रदेश के जाट अपने समुदाय की विवाह योग्य लड़कियों को सख्त नियंत्रण में रखना चाहते हैं। विवाह को लेकर असंख्य रिवाजी कानून इन वधुओं की उपलब्धता की समस्या को और अधिक बढ़ा देते हैं। जैसे पिता की ओर से सात (या पांच) पीढ़ियों तथा माता की ओर से पांच (या तीन) पीढ़ियों के वंशज के बीच विवाह पर प्रतिबंध है यानी इन श्रेणियों में पड़ने वाले सभी गोत्र विवाह के लिए 'अनुपयुक्त' होंगे। इसके बाद 'गांव-क्षेत्र बहिर्विवाह' के चलन कुछ और विवाह योग्य साथियों को 'योग्य' श्रेणी से बाहर कर देंगे। और अंत में 'जाति बहिर्विवाह' का रिवाज अन्य जातियों के साथ विवाह संबंध बनाने के लिए वर्जित होंगे। इन सबके कारण जाट जाति की कुछ ही लड़कियां विवाह के लिए बचती हैं और इनके लिए एक प्रतिस्पर्धा छिड़ जाती है। चूंकि हर गोत्र समूह के अपने निश्चित नियम है लिहाज़ा अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस समूह पर 'घात' लगता है तो जवाबी प्रतिक्रिया आक्रमक होती है। इसलिए इस तरह की 'अनुपयुक्त' शादियों के विरुद्ध फतवे जारी करके खाप पंचायतें अपने गोत्र समूह की जायज़ विवाह योग्य लड़कियों को सुरक्षित रखना चाहती हैं। यह सच्चाई की एक दलित पुरुष जाट समूह की कम होती लड़कियों में से किसी एक से विवाह करने की कोशिश कर रहा है जातिगत बदले की भावना को और हिंसक व जानलेवा बना देती है।

घटता लिंग अनुपात व वधुओं की कमी सीधे तौर पर गोत्र कट्टरता से प्रभावित है यह इस बात से भी साबित होता है कि राजस्थान व हरियाणा के काफी समुदायों ने गोत्र मानकों में ढील छोड़ दी है। पर खाप पंचायतों की

बढ़ती आक्रामकता के सामने इस ढिलाई को लम्बे दौर तक कायम रखना मुश्किल प्रतीत हो रहा है।

विवाह और गोत्र की राजनैतिक आर्थिक व्यवस्था

खाप पंचायत कार्यवाई के समयमापन व तीव्रीकरण की गुत्थी को बदलते आर्थिक व राजनैतिक परिवेश तथा विवाह संबंधों पर उसके प्रभाव से भी सुलझाया जा सकता है। उत्तर भारतीय विवाहों में यह चलन है कि लड़की की शादी ऊंचे दर्जे वाले कुल में की जानी चाहिए तथा लड़के का दर्जा लड़की से ऊंचा होना चाहिए। तीव्रता से बदलते समाज में लड़कों की काबलियत महज़ ज़मीन से नहीं बल्कि शिक्षा व अच्छी नौकरियों से आंकी जा रही है। आज के दौर में जातिगत दर्जा नहीं बल्कि नौकरी व शहरी स्थापन अधिक मायने रखते हैं। शहरों में जान-पहचान, व्यवसाय व सरकार अब नई सामाजिक पूंजी है जो सामाजिक गतिशीलता के ख्वाब पूरे करने के लिए उपयोगी है। इसके अलावा गोत्रों की पारम्परिक श्रेणीबद्धता (खासकर वंशों की) शिक्षा व रोज़गार की आर्थिक व्यवस्था से ढुलमुल हो रही है। सरकारी नौकरियों के लाभ से समाज में धन ओहदे व सत्ता के स्रोत के रूप में ज़मीन की कीमत कम हो रही है। पुराने समय में उच्च प्रतिष्ठा के लिए वंशों के बीच जद्दोजेहद मौजूद ज़रूर थी परन्तु ज़मीन की मिल्कियत सामाजिक दर्जे में एक स्थिरता दिलाती थी। अब जैसे-जैसे वंश इन नए पैमानों के अनुसार श्रेणीबद्धता संरूपण करते हैं वैसे-वैसे नये पैमानों के आधार पर बनाये विवाह संबंध उनके बीच उतार-चढ़ाव और परिवर्तन लाने में सहयोग करते हैं।

इसके साथ ही स्थानीय हरियाणवी औरतों की कमी के कारण लड़की व उसके माता-पिता 'चुनाव करने वाले' बन जाते हैं। फिर भी लड़कियों के विवाह पर कड़ा नियंत्रण है। आखिरकार परिवार की इज़्ज़त का दारोमदार औरतों के ऊपर ही तो है! हालांकि हरियाणा व उत्तर प्रदेश के पुरुष वधुओं के अभाव में किसी भी क्षेत्र या जाति की लड़की से शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं परन्तु अपने राज्य और समुदाय की औरतों को वे सख्त निगरानी में रखते हैं। उनकी शादी 'उपयुक्त' और 'उचित' लड़कों के साथ ही होनी चाहिए। अगर कोई लड़का हर लिहाज़ से ठीक-ठाक होता पर 'अनुपयुक्त' गोत्र का है तो माता-पिता गोत्र संबंधी मानकों का उल्लंघन करके अथवा उन्हें नज़रअंदाज़ करके शादी पक्की कर देते हैं। यहां व्यक्तिगत परिवारों के फैसले गोत्र मानकों को चुनौती देते हैं और किसी अन्य गोत्र वालों का उस लड़की से विवाह करने के अधिकार की अवहेलना करते हैं। इसी तरह एक कुलीन वर जिसका गोत्र लड़की के परिवार से नीचा है एक 'नौदौलत' समझा जाता है और उसका चुनाव करने वाले वधू परिवार पर भी दोषारोपण किया जाता है क्योंकि उन्होंने 'वैध व अधिकारी कुंवारे' की जगह किसी अन्य का चुनाव किया है। इस तरह के विवाह को गोत्र एकजुटता और गोत्र पदानुक्रम को चुनौती देने का दोषी माना जायेगा।

हरियाणवी समाज की नज़दीकी जानकारी होने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन मानकों का उल्लंघन करने वाले दबंग परिवार अक्सर छूट जाते हैं परन्तु कम सशक्त परिवारों (विशेषतः वर पक्ष) को खाप पंचायतों का सामना करना पड़ता है। कम ताकत वाली खाप पंचायतें "बागी" वर या वधू के माता-पिता की पैरवी करने में असमर्थ होती हैं। इन विवाहों को निशाना बनाने का समय इस बात पर निर्भर करता है कि कब यह महसूस किया गया है कि 'वंश की प्रतिष्ठा' को सीधी चुनौती दी गई है जो इन मामलों पर देर से की गई प्रतिक्रिया का भी एक महत्वपूर्ण कारण है।

खाप पंचायतें अपनी पुरानी साख व वैधता खो चुकी हैं- पंचायती राज संस्थानों व *हिंदू विवाह कानून* ने विवाहों संबंधी मामलों में उनकी सत्ता कम कर दी है— ये उनकी हठधर्मी के महत्वपूर्ण कारण हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इन पंचायतों के नेता वे बुजुर्ग होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित रखने में अपनी महत्ता और ताकत दोनों खो चुके हैं। स्थानीय समाज पर अपनी सत्ता पुनर्स्थापित करने में उन्हें ज़्यादातर उन दुर्भाग्यशाली नौजवानों का सहयोग मिलता है जो कम-शिक्षित, बेरोज़गार व वधू पाने के लिए बेहद आतुर हैं।

हरियाणवी समाज बेटियों को खत्म करने वाले अपने व्यवहार को नकार रहा है। निरन्तर गिरते लिंग अनुपात स्त्री भ्रूण के जाने-समझे व निष्ठुर खात्मे का सूचक है। फिर भी इस मुद्दे पर विमर्श कि नौजवानों को विवाह योग्य लड़कियां क्यों नहीं मिलती, बेरोज़गारी पर केंद्रित है, न कि औरतों की घटती संख्या पर। ये बेरोज़गार, अविवाहित पुरुष अपने दर्जे और साख को हासिल करने के लिए 'भटके' हुए लोगों को ताकत व मर्दानगी के बल पर नियंत्रित करने में लगे हैं। चाहे वह दलित से जातिगत बदला हो या विवाह के मामले में खाप पंचायत की हठधर्मी, हरियाणवी समाज का तनाव मूल्यों व मानकों में विभंग की ओर इशारा कर रहा है। इस लिहाज़ से अन्य उत्तर भारतीय राज्य भी हरियाणा से कोई खास पीछे नहीं हैं।

खाप पंचायत व स्त्री शक्ति

अंत में, ऐसा क्यों है कि आसंदा गांव की सोनिया और मनोज की मां, चंद्रापति ही अपने ही बच्चों के अधिकारों के लिए उठ खड़ी हुई और संघर्ष कर रही है? क्यों सोनिया के पति रामपाल ने खाप पंचायत के इस निर्णय का विरोध नहीं किया कि विवाह के एक वर्ष बाद और जब सोनिया गर्भवती है उन्हें भाई-बहन की तरह रहने को बाध्य नहीं किया जा सकता? क्यों चंद्रापति की मदद को कोई पुरुष नहीं आए? शायद हरियाणा की इस घृणित परिस्थिति में यही एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। हरियाणा में स्त्री शिक्षा बेहतर हो रही है और आज काफी औरतें अपने पतियों से अधिक शिक्षित हैं। यहां के महिला संगठन भी सक्रियता से लैंगिक मुद्दों को सम्बोधित कर रहे हैं जिनके पास औरतें सहयोग व कानूनी सलाह के लिए आ सकती हैं। मीडिया भी युवा लड़कियों की मदद के लिए आगे आया है। पर क्यों कोई नौजवान अपनी बहनों या अपनी शादियां बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे? सिर्फ़ इसलिए क्योंकि एक बेरोज़गार नौजवानों की भीड़, मरते हुए सामाजिक ढांचे के आखिरी अवशेष एकत्रित करने में जुटी है, वो ढांचा जो उनको मर्दानगी दिखाकर समाज में थोड़ा सा सम्मान पाने की सहूलियत देता है।

एक अंतिम बात-राज्य व केंद्रीय सरकारों से। खाप पंचायतों द्वारा जारी फतवों में राज्य सरकारों व उनके नेताओं की सहापराधिता निन्दनीय है क्योंकि उन्हें केवल वोट बैंकों से सरोकार है। केंद्रीय सरकार को अब बीच में आकर सुनिश्चित करना होगा कि दबंग और प्रतिगामी खाप पंचायतों के साथ सख्ती की जाये। राज्य व केंद्रीय सरकारों को संशोधित विवाह व उत्तराधिकार कानूनों को सशक्त बनाकर पुरातन रिवाजी कानूनों का इस्तेमाल रोकना होगा। ऐसा करने से स्त्री भ्रूण हत्या व सम्मान जनित हत्या, दो जुड़वां अभिशापों को रोका जा सकेगा। समान उत्तराधिकार कानून से बेटी व बेटे दोनों को बराबरी का दर्जा मिलेगा, लिंग अनुपात संतुलित होगा तथा औरतों के लिए सामाजिक प्रतिस्पर्धा कम होगी। विवाहों के लिए राष्ट्रीय कानूनों की प्रमुखता को स्वीकारने से अति संवैधानिक निकायों की परिवारों व दम्पतियों पर अपने विवाह संबंधी निर्णय लेने के अधिकार पर पकड़ भी कमज़ोर होगी।

रविन्दर कौर *आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हैं।*